न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 29/2021
निर्णय दिनांक :20.04.2022

1. भंवरलाल पुत्र राधाकिशन जाति बागडा
2. सीताराम पुत्र राधाकिशन जाति बागडा
3. समस्त निवासीगण ग्राम बगरूकंला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र नारायण जाति बागडा
2. घासी पुत्र सूज्या जाति बागडा
3. बुद्धीपुत्र गोपाल जाति बागडा
4. मु. पार्वती पत्नी स्व गोपाल जाति बागडा
5. मनोज पुत्र नारायण जाति बागडा
6. रामजी पुत्र गोपाल जाति बागडा

समस्त निवासीगण ढाणी केरिया का बास, ग्राम बगरूकंला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

7. उप तहसीलदार बगरू पता कार्यालय उप तहसील बगरू तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् दुरूस्ती रिकार्ड

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.42 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरूकंला, पटवार हल्का बगरूकंला, तह0 सांगानेर जिला जयपुर स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बतौर सह काश्तकार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 के लगवा पश्चिम में खसरा नम्बर 355, 356 स्थित है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 खसरा नम्बर 355, 356 के ,खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 लडाकू व झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 358 की बुवाई जुताई में व्यवधान करते रहते है और प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 को नाजायज तरीके से हडपने के प्रयास करते है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि को सही प्रकार से देखभाल करने व उपयोग करने में असमर्थ है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.42 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु अप्रार्थी संख्या 7 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, अप्रार्थी संख्या 7 के आदेश दिनांक 16.06.2020 की पालना में अप्रार्थी संख्या 7 के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख[illegible] 358 का दिनांक 03.07.2020 को सीमाज्ञान किया जा चुका है [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को है। सीमाज्ञान हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 ल[illegible] 6 प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.42 हैक्टेयर को ना[illegible]ज हडपने की चेष्टा कर[illegible] और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा दिनांक 25.03.2021 को प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.42 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाने से इन्कार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:39 IST
Reason: SelfAttested

दिया इसलिये प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त भूमि में खातेदार है परन्तु खसरा नम्बर 358 पर मनबट के अनुसार अन्य सहख़ातेदार काबिज है। अप्रार्थीगण ने कभी भी खसरा नम्बर 358 पर नाजायज कब्जा करने की कौशिश नही की तथा ना ही खसरा नम्बर 358 पर बुवाई जुताई कार्य हो रहा है, पक्का निर्माण कर किराये पर दे रखा है तथा अवैधानिक रूप से व्यवसायिक कार्य कर रहे है। दिनांक 03.07.2020 को किसी भी प्रकार का कोई सीमाज्ञान मौके पर नहीं किया गया बल्कि राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके मंगलचन्द द्वारा प्रार्थीगण के नाम से फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई है। खसरा नम्बर 358 पर अधड आने से टीनशेड उड गये थे जिसको मंगलचन्द व मोरानी मोटर्स द्वारा दुबारा बनवाया जा रहा था जिस पर अप्रार्थीगण ने न्यायालय के स्थगन आदेश मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आधार पर रोका गया था जिस पर मंगलचन्द ने प्रार्थीगण का सहारा लेकर व पुलिस पर अपना प्रभाव उपयोग कर जबरदस्ती निर्माण करना चाह रहे थे, इसलिये अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा नम्बर पर पुख्ता निर्माण हो रखा है तो मिन अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने व हडपने का प्रश्न ही पैदा नही होता बल्कि उक्त खसरा नम्बर के काबिज, मालिक व किरायेदार के अवैधानिक गतिविधियों के कारण अप्रार्थीगण को परेशानी होती है। मौके पर व्यवसायिक कार्य गैर विधिक रूप से चल रहा है जिसको चलाने का कोई अधिकार नही है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमान् न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

बहस अभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं उपतहसील बगरू द्वारा जारी सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। बहस अभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वाके ग्राम बगरूकंला, पटवार हल्का बगरूकंला, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.42 हैक्टेयर स्थित है का उपतहसीलदार बगरू की सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट आदेश दिनांक 03.07.2020 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:39
Reason: SelfAttested

26, 2022, 18:43